न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 47 / 2019

1 हरिराम पुत्र रामेश्वर जाति माली निवासी गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 इन्द्राज पुत्र जगन्नाथ।
2 भंवर पुत्र लच्छा उर्फ लिछमण।
3 मेवाराम पुत्र लच्छा उर्फ लिछमण।
4 रामस्वरूप पुत्र लच्छा उर्फ लिछमण।
5 सत्यनारायण पुत्र लच्छा उर्फ लिछमण।
6 छोटू पुत्र लच्छा उर्फ लिछमण।
7 महेश पुत्र लच्छा उर्फ लिछमण।
8 बीरबल पुत्र लच्छा उर्फ लिछमण।
9 मुकेश पुत्र लच्छा उर्फ लिछमण।
10 मनफूल पुत्र लच्छा उर्फ लिछमण।
11 मूंगाराम पुत्र हरदेवाराम समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा मण्ढ़ा मदनी।
13 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मण्ढ़ा मदनी।
14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
15 उपपंजीयक पलसाना।

रेस्पोडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर मुकदमा नम्बर 46 / 2018 उनवानी इन्द्राज बनाम भंवर आदि दिनांक 15.05.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मनोज भार्गव, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 46/2018 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 563 एवं 564 बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रकरण में विचाराधीन आदेश से विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील सम्यक रूप से नही करवाई गई है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। वादी द्वारा मृतक लच्छा के पुत्री व पत्नी को पक्षकार बनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित करवाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा न तो जवाब दावा प्राप्त किया गया है, न ही साक्ष्य प्राप्त की गई है, न ही विवाद बिन्दु कायम किये गये है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील सम्यक रूप से नही करवाई गई है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। वादी द्वारा मृतक लच्छा के पुत्री व पत्नी को पक्षकार बनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित करवाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा न तो जवाब दावा प्राप्त किया गया है, न ही साक्ष्य प्राप्त की गई है, न ही विवाद बिन्दु कायम किये गये है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

विचारण न्यायालय में अपीलांट उपस्थित नही रहा है। उसे निर्णय की जानकारी होने का कोई तथ्य पत्रावली पर नही है। अत न्यायहित में अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर